

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 15.06.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र रामौतार निवासी ग्राम हराहरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 28 अदद क्वार्टर देशी शराब ब्रांड ट्रिवन टॉवर नाजायज बरामद होने पर मु0अ0सं0 207/26 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 784/09 धारा 452/504/506/323/352 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील पुत्र राम सिंह निवासी बान थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 169/25 धारा 87/65(1)/137(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त हर्षित पुत्र अवधेश कुमार निवासी लुदौरा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात (वाँछित) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 375/15 धारा 452/384/504/506/427 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त आनंद उर्फ गुड्डू पुत्र रामबाबू निवासी वार्ड नंबर-3 जवाहर नगर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 48/25 धारा 144(3) बीएनएसएस से सम्बन्धित अभियुक्त अमित सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी मदारपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 160/26 धारा 35(1) बीएनएसएस व धारा 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त ज्ञानी पुत्र बीरेन्द्र सिंह निवासी ओरंगाबाद झडा थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 40 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।